

प्रभारी अधिकारी (न्याय) अति० जिला मजिस्ट्रेट दक्षिण, जिला जयपुर के पत्र क्रमांक कोर्ट/2012/2361-63
दिनांक 10.05.2012 की अनुपालना में

संकल्प पत्र

मैं (वर का नाम) पुत्र श्री

जाति उम्र निवासी

एवं मैं (वधु का नाम) पत्नी श्री

पुत्री श्री जाति निवासीनी (वधु के पिता का

पता) हम संयुक्त रूप से संकल्प लेते हैं

कि :-

1. हम दोनों शादी के पवित्र बंधन में बंधने के पश्चात् प्रतिज्ञा करते हैं कि कभी भी दांपत्य जीवन में भ्रूण के लिए लिंग परीक्षण नहीं करायेगें तथा न ही कभी ऐसे अमानवीय कृत्य में किसी का सहयोग करेंगे।
2. हमारी बेटी का जन्म होने पर बेटे के समान ही पालन पोषण, स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर समान व्यवहार करेंगे। बेटा बेटी में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे।

वर के हस्ताक्षर

वधु के हस्ताक्षर